न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी.–।।, गाजीपुर

दण्डवाद सं0 67/2010

राज्य – प्रति – संतोष विन्द

दिनांक : 22.12.2021 **पी.डब्ल्यू–02**

मैं, **लालता प्रसाद पुत्र स्व0 गया प्रसाद**, उम्र लगभग 57 वर्ष, हाल तैनाती पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय मंगरौल, कालपी जिला–जालौन, शपथ पूर्वक बयान करता हूॅ किः–

दिनांक 17.07.2010 को मैं, थाना कोतवाली में बहैसियत कां0 के पद पर तैनात था। मुझे अपराध नं0 2115/10 धारा 8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट राज्य बनाम संतोष विन्द पुत्र रामअवतार विन्द निवासी माल गोदाम रोड जिला गाजीपुर जिनके पास 8 ग्राम हेरोइन बरामद हुआ था की डाकेट सी.ओ. सदर से प्राप्त कर विधि विज्ञान प्रयोगशाला रामनगर, वाराणसी में दाखिल किया था। जिसकी प्राप्ति रसीद सं0 2630/10 दिनांक 19.07.2010 शामिल पत्रावली है। जिस पर बने हस्ताक्षर का गवाह ने तस्दीक किया व प्राप्ति रसीद शामिल पत्रावली कागज सं0 8अ को देखकर गवाह ने तस्दीक किया जिस प्रदर्श क2 डाला गया।

इस मुकदमें के चिक एफ.आई.आर. लेखक हेड मोहर्रीर अवधेश प्रसाद के साथ कोतवाली में काम किया हूॅ और उनके हस्तलेख व हस्ताक्षर को पहचानता हूॅ। चिक एफ.आई.आर. शामिल पत्रावली कागज सं0 4अ/1 लगायत 4अ/2 को देखकर गवाह ने उनके लेख व हस्ताक्षर का तस्दीक किया। जिस पर प्रदर्श क3 डाला गया। व उन्हीं के द्वारा इस मुकदमें की कायमी 19/9:10 बजे दिनांक 15.07.2010 को किया गया था। जिसकी मूल प्रति पुलिस अधीक्षक कार्यालय भेजा गया था जो कि विनष्ट हो चुकी है जिसकी कार्बन कापी 10ब/3 को देखकर गवाह ने उनके हस्ताक्षर व लेख का तस्दीक किया। जिस पर प्रदर्श क4 डाला गया।

प्रतिपरीक्षा X X X X X X X X

मुझे डाकेट थाने से मिला था। डाकेट सी.ओ. साहब नगर के यहां बना था। माल मेरे सामने तौला नही गया था। जो नमूना माल मुझे मिला था वहा लिखा पढ़ी के अनुसार 8 ग्राम मिला था। माल मुकदमा पर सी.ओ. साहब का हस्ताक्षर था। नमूना मुहर हेतु उपरोक्त माल में से कोई माल नही निकाला गया था। माल टिन के डब्बे में रखा हुआ था। वह डब्बा पलेन था या किसी कम्पनी का था या प्लास्टिक का था मैं ये नही बता सकता। नमूना माल डिब्बे के अन्दर वास्तविक रूप से कितना था मैं नहीं बता सकता। मेरे सामने माल मुहर सीलड हुआ था।

मैंने बरामद शुदा हेरोइन को देखा था। वह भूरे रंग का था। मैं ये नहीं बता सकता कि वह हल्का बदामी रंग का था की नहीं। मैं थाना कोतवाली मे बतौर कांस्टेबल के पद पर सन 2010 तक तैनात था। अवधेश प्रसाद के साथ मैं काम किया हूॅ। मैं उनको लिखते पढ़ते देखा हूॅ। अवधेश प्रसाद इस समय नौकरी में हैं या नहीं। वह जिन्दा हैं या मर गये मुझे जानकारी नहीं है। मेरे जानकारी में अवधेश प्रसाद हिन्दी में हस्ताक्षर करते थे। प्रदर्श क3 पर बने हस्ताक्षर अवधेश प्रसाद का दिखाया गया तो गवाह ने कहा यह अपठनीय है। मैं डाकेट किस तारीख को ले गया था मुझे याद नहीं है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला, रामनगर, वाराणसी में जो मैंने डाकेट जमा किया था उसकी प्राप्ति रसीद प्राप्त हुई थे जो पत्रावली में उपलब्ध है। गवाह ने पत्रावली देखकर कहा की मुझे प्राप्ति रसीद प्राप्त हुई थी। रिसीविंग के बाद विधि विज्ञान प्रयोगशाला से रिपोर्ट आयी की नहीं मुझे नहीं मालूम है।

यह कहना गलत है कि जैसा मैंने बयान दिया है उस तरह की कोई डाकेट माल से संबंधित मैं विधि विज्ञान प्रयोगशाला, रामनगर, वाराणसी में नहीं ले गया था।

यह भी कहना गलत है कि अधिकारियों के साजिश में होकर गलत बयान दे रहा हूॅ।

सुनकर तस्दीक किया बयान मेरे बोलने पर टाईप किया गया ।